

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

मुकदमा  
85/2019

किस्म मुकदमा  
धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक  
12.02.2019

निर्णय दिनांक  
04.04.2019

उनवान सरकार बनाम रोशनलाल पुत्र तोखाराम जाति अहीर निवासी निहालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

—: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का सोहली ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम निहालपुरा गै0 मु0 जोहड़ ख0 न0 151 कुल रकबा 27.06 है0 मे से 0.10 है0 पर अतिक्रमी रोशनलाल पुत्र तोखाराम जाति अहीर निवासी निहालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0) ने अवैध रूप से सरसो फसल कास्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा एवं जवाब पस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। अतिक्रमी द्वारा गै0 मु0 जोहड़ में सरसो फसल कास्त कर रखी थी जिस बाबत भू0 अ0 निरीक्षक व हल्का पटवारी को सरसो फसल कुर्क करने के आदेश पारीत किये गये जो बाद कुर्क कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तत्पश्चात सरसो की फसल को कब्जे राज लेकर निलाम करने के आदेश पारीत किये गये बाद निलामी अन्तिम बोलीदाता मुखत्यार पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी निहालपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं के पक्ष में स्वीकृत की गई। बाद निलामी राशि जरीये चालान नं0 GRN 29456960 दिनांक 28.03.2019 को राजकोष में जमा करवाई गई।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। नही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा सरसो फसल कास्त कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से सरसो फसल कास्त कर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.44/- का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख0 न0 151 लगान 0.44 की 50 गुणा जुर्माना राशि 22/- बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

43  
8  
22/-

Suman  
B. Suman

(प्रमुख न्यायालय)  
तहसीलदारा बुहाना.)